न्यायमूर्ति आर. एस. मोंगिया और एस. एस. सुधालकर .

श्याम लाल,-याचिकाकर्ता

बनाम

सी. ए. टी. चंडीगढ़ और अन्य -उत्तरदाता

सी. डब्ल्यू. पी. सं. 2266-सी/1998

3 सितंबर, 1998

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 16(4) और 226 - भारत सरकार के 24 मई, 1974 के निर्देश - आरक्षण रोस्टर - आरक्षित श्रेणियों और सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए स्थान इंगित करने वाले आरक्षण सूची को अंतर-वरिष्ठता के निर्धारण के लिए नहीं माना जा सकता है - केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का आदेश जो इसके विपरीत अलग था रद्द किया गया।

माना गया कि यदि कोई निर्देश है कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार की वरिष्ठता सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार की तुलना में कैसे निर्धारित की जाएगी, तो हमें उन निर्देशों का पालन करना होगा। रोस्टर में रोस्टर बिंदु परस्पर वरिष्ठता निर्धारित नहीं करते हैं और यह योग्यता सूची/चयन सूची/पैनल में स्थिति है जो वरिष्ठता निर्धारित करेगी।

(पैरा 14)

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि 24 मई, 1974 के पत्र और भारत संघ और अन्य बनाम वीर पाल सिंह चौहान और अन्य *1996 (1)* आर. एस. जे. जे. *405* में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (चंडीगढ़ पीठ) यह टिप्पणी करने में कानूनी रूप से सही नहीं था कि "चयन समिति द्वारा तैयार की गई तथाकथित योग्यता सूची के आधार पर अंतर-वरिष्ठता का प्रश्न निर्धारित किया जा रहा है।यह निर्धारण बहुत आवश्यक था कि क्या रोस्टर अंकों को वरिष्ठता अंकों के रूप में माना जाना है या नहीं।

(पैरा 15)

गुरूदेव सिंह, अधिवक्ता-याचिकाकर्ता की ओर से

अशोक अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित राजेश बंसल, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या *3* और *4* के लिए

आर. के. शर्मा, अधिवक्ता-प्रतिवादी संख्या *6* के लिए।

निर्णय

न्यायमूर्ति आर. एस. मोंगिया.

(1) प्राथमिक बिंदु, जिसका उत्तर हमें इस मामले में देने के लिए कहा गया है, वह यह है कि क्या आरक्षित श्रेणियों (एस.सी./एस.टी./बी.सी. आदि) और सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित स्लॉट को दर्शाने वाले रोस्टर बिंदु को वरिष्ठता अंक के रूप में माना जाना चाहिए। किसी विशेष संवर्ग में व्यक्तियों की परस्पर वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए। संक्षेप में इस मामले के तथ्यों पर गौर किया जा सकता है।

(2) उत्तरदाता सं. 6, श्रीमती वीणा कुमारी एस. सी. श्रेणी से संबंधित, निदेशक, जनसंपर्क, यू. टी. प्रशासन, चंडीगढ़ के कार्यालय में क्लर्क वीणा कुमारी को अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्ति के खिलाफ नियुक्त किया गया था, जबकि वर्तमान याचिकाकर्ता, श्री श्याम लाई को अनारक्षित रिक्ति के खिलाफ उसी कार्यालय में क्लर्क के रूप में नियुक्त किया गया था, यानी सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में।याचिकाकर्ता 20 सितंबर, 1980 को इस पद पर शामिल हुआ था, जबकि प्रतिवादी संख्या 6 22 सितंबर, 1980 को शामिल हुआ था।रोस्टर के अनुसार, याचिकाकर्ता को प्वाइंट नंबर 3 पर अनारक्षित रिक्ति के खिलाफ नियुक्त किया गया था, जबकि प्रतिवादी नंबर 6 को रोस्टर पर प्वाइंट नंबर 4 के खिलाफ नियुक्त किया गया था, जो अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित था, जिससे वह वर्तमान याचिकाकर्ता से जूनियर बन गई थी।प्रत्यर्थी संख्या 6 ने आधिकारिक प्रतिवादीगण का प्रतिनिधित्व किया कि वास्तव में उन्हें याचिकाकर्ता से वरिष्ठ बनाया जाना चाहिए क्योंकि उन्हें अनुसूचित जातियों के लिए एक कैरी फॉरवर्ड रिक्ति के खिलाफ नियुक्त किया गया था और उन्हें उस रोस्टर बिंदु से पहले एक रोस्ट पॉइंट पर नियुक्त किया गया माना जाना चाहिए जिस पर याचिकाकर्ता को नियुक्त किया गया था, जो उन्हें याचिकाकर्ता से वरिष्ठ बना देगा।मामला अंततः यू. टी. प्रशासन में वित्त विभाग को भेजा गया, जिसने स्पष्ट किया कि वर्ष 1980 में पहली रिक्ति अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए आरक्षित थी और चूंकि कोई भी उपलब्ध नहीं था, इसलिए आरक्षित रिक्ति को बाद के तीन भर्ती वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जाना था और इसलिए, जब याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 6 को नियुक्त किया गया था, तो उसे याचिकाकर्ता से पहले एक रोस्टर बिंदु के खिलाफ नियुक्त किया जाना चाहिए था, जिससे वह वर्तमान याचिकाकर्ता से वरिष्ठ बन गई।हालाँकि, आधिकारिक प्रतिवादीगण ने मामले को आगे के स्पष्टीकरण के लिए सितंबर 1989 में कानूनी अनुस्मारक-सह-निदेशक, अभियोजन, चंडीगढ़ प्रशासन को भेज दिया।सभी बिंदुओं के साथ-साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के भारत सरकार के विवरणिका को देखने के बाद कानूनी अनुस्मारक ने कहा कि रोस्टर अंकों का उद्देश्य आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या निर्धारित करना है और इसका मतलब यह नहीं है कि नियुक्ति

या वरिष्ठता का क्रम निर्धारित करना।तदनुसार, योग्यता में उच्च अधिकारी को नियमों के अनुसार योग्यता में निम्न अधिकारी से वरिष्ठ होना चाइए ।नतीजतन, वर्तमान याचिकाकर्ता से वरिष्ठता में अधिक रखे जाने के लिए प्रतिवादी संख्या 6 के मामले को विभाग द्वारा खारिज कर दिया गया था।वह मामले को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (चंडीगढ़ पीठ) के समक्ष ले गई, जिसने 2 दिसंबर, 1997 के विवादित आदेश (अनुलग्नक पी. एल.) के माध्यम से मामले का फैसला इस प्रभाव से किया कि उसे वर्तमान याचिकाकर्ता के ऊपर क्रम संख्या 3 पर रोस्टर बिंदु दिया जाना चाहिए और उस आधार पर वह वर्तमान याचिकाकर्ता (जो न्यायाधिकरण के समक्ष प्रतिवादी संख्या 5 थी) से वरिष्ठ होगी।न्यायाधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः—

"हम आश्चर्यचकित हैं कि प्रशासनिक निर्देशों की व्याख्या के मामलों में, प्रत्यर्थी-विभाग ने छल के लिए कानूनी विभाग का संदर्भ लिया।हमें यह देखते हुए खेद है कि एल. आर. द्वारा की गई व्याख्या आरक्षण नियमों के पीछे की वास्तविक व्याख्या से कम है।माननीय उच्चतम न्यायालय के कई निर्णयों में कहा गया है कि आरक्षित अंकों को आरक्षित समुदाय के लाभार्थियों के लिए रखा जाना चाहिए और इसलिए, कैरीफॉरवर्ड फॉर्मूला तैयार किया गया है, ताकि जो अंक किसी विशेष वर्ष में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण नहीं भरे जा सके, वे उस समुदाय से खो न जाएं।आर. के. सभरवाल और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य के मामले में नवीनतम निर्णय 1995 (1) स्केल 138 पूरे मुद्दे को स्पष्ट करता है, जिसमें कहा गया है कि आरक्षित अंकों को आरक्षित समुदाय के उम्मीदवारों के लिए स्थायी रूप से रखा जाना चाहिए, और यदि किसी विशेष समुदाय के लिए आरक्षित किया जाता है तो रिक्ति को केवल उस समुदाय के उम्मीदवार द्वारा भरा जाना चाहिए।यह एक स्वीकृत तथ्य है कि प्वाइंट नंबर 1 अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित था और पहले भर्ती वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति के उम्मीदवार की अनुपलब्धता के कारण नहीं भरा गया था।एक बार जब तीसरी भर्ती पूरी हो गई और एक अनुसूचित जाति का उम्मीदवार उपलब्ध हो गया, तो यह प्रतिवादी-विभाग का बाध्य कर्तव्य था कि वह आवेदक को वही बात बताए, जो अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित है।चयन समिति द्वारा तैयार की गई तथाकथित योग्यता सूची के आधार पर अंतर-वरिष्ठता निर्धारित करने का सवाल बिल्कुल भी सामने नहीं आता है।

3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम कानून की नजर में ओ. ए. को सही पाते हैं और हम तदनुसार विवादित आदेशों को रद्द करते हैं जो अनुलग्नक ए१ है, जिसके द्वारा उसकी वरिष्ठता के संबंध में आवेदक के प्रतिनिधित्व को अस्वीकार कर दिया गया था।हम यह भी निर्देश देते हैं कि आवेदक को श्री श्याम लाल-प्रत्यर्थी संख्या 5 के ऊपर क्रम संख्या 3 पर रोस्टर बिंदु के अनुसार वरिष्ठता दी जाएगी और उसकी बाद की पदोन्नति भी उसी आधार पर की जाएगी और यदि आवश्यक हो तो प्रत्यर्थी संख्या 5 को प्रासंगिक तिथि से

नीचे लाया जाएगा।वरिष्ठता में इस परिवर्तन से निकलने वाली अन्य सभी परिणामी राहतें भी दी जाएंगी।इन आदेशों का अनुपालन इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर किया जाएगा।"

(3) याचिकाकर्ता ने न्यायाधिकरण के उपरोक्त आदेश को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिका दायर की है।

(4) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि हालांकि एससी/एसटी/बीसी के पक्ष में पदों के आरक्षण के लिए कुछ संवैधानिक और राजनीतिक औचित्य हो सकता है और इस तरह के आरक्षण के आधार पर आरक्षित श्रेणियों के सदस्यों को उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के खिलाफ उनकी कम योग्यता की स्थिति के बावजूद नियुक्तियां दी जा सकती हैं, लेकिन यह उन्हें रोस्टर अंकों के आधार पर वरिष्ठता का दावा करने का हकदार नहीं बनाएगा, जिसके खिलाफ उन्हें नियुक्तियां दी जाती हैं।अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने जिल सिंह मेहरा बनाम हरियाणा राज्य[1] में एक विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले का हवाला दिया।

(5) यह आगे तर्क दिया गया कि भारत सरकार ने 24 मई, 1974 को निर्देश जारी किए थे, जो वर्तमान मामले में लागू होते हैं, जो विशेष रूप से निर्धारित करते हैं कि वरिष्ठता का निर्धारण रोस्टर अंकों के अनुसार नहीं किया जाना है, बल्कि योग्यता की स्थिति पर निर्भर करेगा जैसा कि चयन निकाय द्वारा निर्धारित किया जाता है। 24 मई, 1974 के निर्देशों के प्रासंगिक उद्धरण, अनुलग्नक पी. 5, को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा सकता हैः—

"विषयः—परीक्षा-आरक्षण रोस्टर और नियुक्तियों के क्रम के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे गए पदों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण।

अधोहस्ताक्षरित व्यक्ति को यह कहने का निर्देश दिया जाता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण को प्रभावी बनाने के लिए निर्धारित किए गए रोस्टर, व्यापक ओ. एम. सं. नं. एल./एल. एल./69-ए. एस. टी.(एस. सी. टी.), दिनांक 22 अप्रैल, 1970 और सं. 1/3/72-एस्ट।(एस. सी. टी.), दिनांक 12 मार्च, 1973, रिक्तियों की संख्या निर्धारित करने के लिए हैं जिनके लिए आरक्षित किया जाना है। किसी विशेष परीक्षा, भर्ती आदि में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और रोस्टर वास्तविक नियुक्ति के क्रम को निर्धारित करने या वरिष्ठता निर्धारित करने के उद्देश्य से नहीं है।रोस्टर के आधार पर आरक्षित रिक्तियों की संख्या निर्धारित करने के बाद, सामान्य के साथ-साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित चयनित उम्मीदवारों के नामों की व्यवस्था की जाती है।उनकी अंतर-योग्यता का क्रम।चूंकि परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती के मामले में, आम तौर पर सभी चयनित

[1] 1995 (6) एस. एल. आर. 806

उम्मीदवारों को एक साथ नियुक्त किया जाता है, इसलिए यह सवाल सामान्य रूप से नहीं उठेगा कि आरक्षित रिक्तियों के लिए नियुक्तियों का कौन सा क्रम बनाया जाना चाहिए।

(6) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के अनुसार न्यायाधिकरण ने इस मुद्दे पर उपरोक्त निर्देशों पर विचार नहीं किया।इसी तरह के निर्देश हरियाणा सरकार द्वारा जारी किए गए थे और *भूप सिंह टिकानिया बनाम हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन*[2] मामले में इस अदालत के विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा कि रोस्टर अंकों को वरिष्ठता अंक के रूप में नहीं माना जा सकता है।यह आगे तर्क दिया गया कि शीर्ष न्यायालय ने भारत संघ और वीर पाल सिंह चौहान और अन्य[3] मामलों में इसी तरह के मामले पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया कि रोस्टर अंकों को वरिष्ठता के रूप में नहीं माना जाना चाहिए और वरिष्ठता निर्धारित करने की विधि निर्धारित करने वाले नियमों/निर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।आधिकारिक प्रतिवादीगण ने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के दृष्टिकोण का समर्थन किया।

(7) हालांकि, प्रतिवादी संख्या 6 के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि आरक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, आरक्षित श्रेणी और सामान्य श्रेणी में जाने वाली रिक्तियों की पहचान करने के लिए आवश्यक रूप से एक रोस्टर बनाए रखना होगा।यदि किसी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार से पहले ऐसी श्रेणी के लिए आरक्षित रोस्टर बिंदु पर नियुक्त किया जाता है, जिसे बाद में अनारक्षित बिंदु पर नियुक्त किया जा सकता है, हालांकि उसी दिन, तो चयन निकाय द्वारा निर्धारित योग्यता की परवाह किए बिना, आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार से वरिष्ठ रैंक प्राप्त करेगा।अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने पी. एस. घालौत बनाम हरियाणा राज्य[4] मामले में शीर्ष न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा किया है।

(8) पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकीलों के तर्क में सार है। वीर पाल सिंह चौहान के मामले (उपरोक्त) में, शीर्ष अदालत आरक्षण से संबंधित रेलवे बोर्ड द्वारा जारी विभिन्न निर्देशों/पत्रों के महत्व और प्रभाव पर विचार कर रही थी और यह भी विचार कर रही थी कि आरक्षित श्रेणियों की प्रारंभिक नियुक्ति और पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति पर वरिष्ठता कैसे निर्धारित की जानी थी।उच्चतम न्यायालय ने 19 जनवरी, 1972 के रेलवे बोर्ड के पत्र पर विचार किया, जिसका अनुच्छेद 3 निम्नानुसार हैः

---

2 1994 (4) आर. एस. जे. 388

3 1996 (1) आर. एस. जे. 405

4 1995 एस. सी. (एल एंड एस) 1270

3. अन्य की तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की वरिष्ठता वर्तमान में निर्धारित की जाती रहेगी।, जिन श्रेणियों में प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया जाता है, उनके मामले में पैनल की स्थिति के अनुसार और जहां प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है वहाँ परीक्षा में योग्यता की स्थिति के अनुसार।"

(9) शीर्ष अदालत ने 31 अगस्त, 1982 के एक अन्य रेलवे बोर्ड के पत्र का भी उल्लेख किया, जो "वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर समूह 'डी' और 'सी' (वर्ग ।V और वर्ग ।।।) में पदोन्नति में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण" विषय से संबंधित था।उक्त पत्र का पैरा 4 इस प्रकार हैः—

"उपरोक्त पृष्ठभूमि में, बोर्ड द्वारा मामले की समीक्षा की गई है।यह निर्णय लिया गया है कि गैर-चयन पदों पर पदोन्नति पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की नियुक्ति भी रोस्टर विषय पर आरक्षित अंकों के अनुसार की जानी चाहिए, हालांकि इस शर्त के अधीन कि अन्य उम्मीदवारों की तुलना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की वरिष्ठता उन श्रेणियों के मामले में पैनल पद द्वारा नियंत्रित की जाएगी जहां प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया जाता है और परीक्षा में योग्यता याचिका के अनुसार जहां प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।"

(10) 31 अगस्त, 1982 के पत्र के उपरोक्त उद्धरण को उद्धृत करने और रिपोर्ट किए गए फैसले के पैरा 14 में कुछ अन्य परिपत्रों को ध्यान में रखने के बाद, शीर्ष अदालत ने निम्नानुसार टिप्पणी कीः—

"यह स्पष्ट है कि यह पत्र प्रारंभिक प्रवेश श्रेणी/श्रेणी में वरिष्ठता की स्थिति की बात कर रहा है।इसमें कहा गया है कि जबकि नियुक्ति रोस्टर अंकों के अनुसार की जाएगी, वरिष्ठता चयन सूची/पैनल में दी गई रैंकिंग द्वारा नियंत्रित होती रहेगी।यह स्पष्ट रूप से सामान्य सिद्धांत से किए जा रहे विचलन को सामने लाता है कि किसी श्रेणी/श्रेणी में प्रवेश की तारीख वरिष्ठता निर्धारित करती है।"

(11) 20 अक्टूबर, 1960 के एक अन्य रेलवे बोर्ड के पत्र पर भी शीर्ष न्यायालय द्वारा विचार किया गया था और रिपोर्ट किए गए फैसले के पैराग्राफ 16 में यह कहा गया थाः—

"जी. सी. जैन (ऊपर) में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले में संदर्भित 20 अक्टूबर, 1960 के रेलवे बोर्ड के पत्र में कहा गया है, "अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की वरिष्ठता सामान्य नियमों के तहत निर्धारित की जाएगी।आरक्षण रोस्टर को केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए आरक्षण का निर्धारित प्रतिशत सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र माना जाता है और यह वरिष्ठता और पुष्टि के सवाल से संबंधित नहीं होना चाहिए।यदि किसी एससी/एसटी कर्मचारी की रोस्टर के आधार

पर पद पर पुष्टि की जाती है, तो इस तरह की पुष्टि से उन्हें वरिष्ठता के संबंध में कोई लाभ नहीं मिलेगा।" एक बार फिर वही विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया।"

(12) शीर्ष न्यायालय ने उपरोक्त अवलोकन करने के बाद समझाया कि परिपत्रों में उपयोग की जाने वाली पैनल स्थिति का क्या अर्थ है।रिपोर्ट किए गए फैसले के पैराग्राफ 25 में, यह निम्नानुसार देखा गया थाः—

"अब देखते हैं कि उपरोक्त सिद्धांत व्यवहार में कैसे काम करता है।चयन ग्रेड 'सी' गार्ड में सीधी भर्ती के लिए किया जाता है।चयन प्राधिकारी द्वारा योग्यता के आधार पर एक पैनल तैयार किया जाता है।नियुक्तियाँ इस सूची/पैनल से की जानी चाहिए।लेकिन नियुक्ति आदेश उस क्रम में जारी नहीं किए जाएंगे जिसमें उम्मीदवारों को इस चयन सूची/पैनल में व्यवस्थित किया गया है; उन्हें रोस्टर के बाद जारी किया जाएगा।मान लीजिए कि चालीस-बिंदु रोस्टर को नए सिरे से संचालित किया जा रहा है, तो रोस्टर में पहली रिक्ति अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के पास जाएगी, हालांकि वह चयन सूची/पाईल में नीचे हो सकता है। उक्त चयन सूची में नंबर 1 एक सामान्य उम्मीदवार को दूसरी रिक्ति में नियुक्त किया जाएगा।लेकिन एक बार नियुक्त होने के बाद, सामान्य उम्मीदवार (चयन सूची में नंबर 1) अनुसूचित जाति के उम्मीदवार से वरिष्ठ होगा, हालांकि उसे (सामान्य उम्मीदवार) अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के बाद नियुक्त किया जाता है।अब पदोन्नति (वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता, यानी गैर-चयन पदों के आधार पर) के मामले को ग्रेड 'बी' में ले जाएं।सूची ग्रेड 'बी' में पदोन्नति पर भी लागू होती है।एक बार फिर यह माना गया कि चालीस अंकों का रोस्टर अब ग्रेड 'बी' में खुल रहा है।पहली रिक्ति फिर से एक अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के पास जाने के लिए मिली है, हालांकि वह ग्रेड 'सी' में सबसे वरिष्ठ नहीं हो सकता है।सबसे वरिष्ठ ग्रेड 'सी' में उम्मीदवार (सामान्य उम्मीदवार, जो चयन सूची/पैनल में नंबर 1 और जिसने ग्रेड 'सी' में नियुक्ति पर अपनी वरिष्ठता हासिल की) को अगली रिक्ति में पदोन्नत किया जाएगा।लेकिन एक बार पदोन्नत होने के बाद, सामान्य उम्मीदवार फिर से अनुसूचित जाति के उम्मीदवार से वरिष्ठ हो जाता है, हालांकि अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के बाद पदोन्नत किया जाता है।और इसी तरह आगे भी।यह इस तरह है कि आरक्षण का नियम (और रोस्टर) केवल एक आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को नियुक्ति या पदोन्नति प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, जैसा कि मामला हो सकता है कि उसने अन्यथा प्राप्त नहीं किया होगा या उस समय प्राप्त नहीं किया होगा जब वह अब प्राप्त कर रहा है; लेकिन यह उसे वरिष्ठता नहीं देता है।इस अर्थ में, नियम एक सीमित लाभ को एक योग्य लाभ प्रदान करता है।हम पहले ही कह चुके हैं कि आरक्षण का ऐसा नियम अनुच्छेद 16 (4) के खिलाफ नहीं है।"

(13) उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि रेलवे बोर्ड द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के पक्ष में आरक्षण, रोस्टर और उनके संचालन और सामान्य उम्मीदवारों और आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के बीच वरिष्ठता के विषय पर विशेष नियमों की प्रकृति में आरक्षण प्रदान करने के लिए जारी किए गए परिपत्र/पत्र भारतीय रेलवे प्रतिष्ठान नियमावली के खंड I में निहित सामान्य निर्देशों पर प्रबल हैं।

(14) शीर्ष न्यायालय की टिप्पणियों से यह स्पष्ट होगा कि सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार की तुलना में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार की वरिष्ठता कैसे निर्धारित की जानी है, हमें इन निर्देशों का पालन करना होगा।शीर्ष न्यायालय (उपर्युक्त) के रिपोर्ट किए गए निर्णय के पैराग्राफ 26 में (जिसे पहले ही ऊपर उद्धृत किया जा चुका है), यह स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय परिपत्र के आधार पर यह निर्धारित कर रहा था कि यदि अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को सीधे रोस्टर बिंदु संख्या 1 पर नियुक्त किया जाता है, हालांकि वह चयन सूची/पैनल में नीचे हो सकता है, और एक सामान्य श्रेणी का उम्मीदवार, जो चयन सूची में क्रम संख्या 1 पर हो सकता है और रोस्टर बिंदु संख्या 2 पर नियुक्त किया जा सकता है, फिर भी सामान्य श्रेणी का उम्मीदवार आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार से वरिष्ठ होगा, भले ही अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को रोस्टर बिंदु संख्या 1 पर नियुक्त किया गया हो।दूसरे शब्दों में, रोस्टर में रोस्टर अंक अंतर वरिष्ठता का निर्धारण नहीं करते हैं और यह योग्यता सूची/चयन-सूची/पैनल में स्थिति है जो वरिष्ठता का निर्धारण करेगी।

(15) वर्तमान मामले के तथ्यों के साथ उपरोक्त अनुपात को लागू करते हुए, हम यहां देख सकते हैं कि भारत संघ ने 24 मई, 1974 को एक पत्र भी जारी किया था (ऊपर पुनः प्रस्तुत), जो कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी विवरणिका में निहित है।यह पत्र रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किए गए पत्रों/निर्देशों के समान है, जिसका संदर्भ वीर पाल सिंह चौहान के मामले (उपरोक्त) में शीर्ष अदालत द्वारा दिया गया था। *24 मई, 1974* (उपर्युक्त) के पत्र को पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यह कभी भी इरादा नहीं था कि रोस्टर अंकों को वरिष्ठता अंक माना जाएगा; बल्कि पत्र में विशेष रूप से कहा गया है कि रोस्टर वास्तविक नियुक्ति के क्रम को निर्धारित करने या वरिष्ठता निर्धारित करने के उद्देश्य से नहीं है।उपरोक्त पत्र और शीर्ष न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, (चंडीगढ़ पीठ) ने यह टिप्पणी करने में कानूनी रूप से सही नहीं था कि "चयन समिति द्वारा तैयार की गई तथाकथित योग्यता सूची के आधार पर अंतर वरिष्ठता का प्रश्न बिल्कुल भी सामने नहीं आता है।" यह निर्धारण बहुत आवश्यक था कि क्या रोस्टर अंकों को वरिष्ठता अंकों के रूप में माना जाना है या नहीं।भूप सिंह टिकानिया के मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने हरियाणा सरकार के समान निर्देशों पर विचार करते हुए, जहां यह निर्धारित किया गया था कि

रोस्टर अंक वरिष्ठता अंक नहीं हैं, यह अभिनिर्धारित किया था कि वरिष्ठता नियमों के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए, न कि रोस्टर अंकों के अनुसार।पी. एस. घालौत के मामले (उपरोक्त) में शीर्ष न्यायालय के निर्णय का भरोसा निजी-प्रतिवादी के विद्वान वकील पर था, जिसका वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई अनुप्रयोग नहीं होगा क्योंकि उस मामले में कोई निर्देश नहीं थे कि रोस्टर अंक वरिष्ठता बिंदु नहीं होंगे जैसा कि वीर पाल सिंह चौहान के मामले (उपरोक्त) में था, जिसका विस्तृत संदर्भ पहले ही ऊपर दिया जा चुका है।जैसा कि ऊपर देखा गया है, वर्तमान मामले में 24 मई, 1974 को निश्चित निर्देश दिए गए हैं जिसमें कहा गया है कि रोस्टर अंक वरिष्ठता अंक नहीं हैं।

(16) पूर्वगामी कारणों से, हम इस रिट याचिका की अनुमति देते हैं, न्यायाधिकरण के आदेश को निरस्त करते हैं और यह मानते हैं कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 6 की वरिष्ठता नियमों के अनुसार तय की जाएगी, न कि रोस्टर बिंदुओं के अनुसार।

अस्वीकरण :

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि यह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। सभी व्यावहारिक और आपराधिक उदेश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा।

हिमांशु आर्य

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी, हरियाणा